राजकीय महाविद्यालय ढलियारा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के छात्र निधि लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.10 से 31.3.12

भाग–एक

1 गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनः–

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों पर की गई कार्यवाही की वर्तमान अंकेक्षण के दौरान सत्यापना की गई। वर्तमान अंकेक्षण उपरान्त अनिर्णीत पैरों की नवीनतम स्थिति निम्नलिखित प्रकार से पाई गई। दीर्धकाल से लम्बित चले आ रहे अनिर्णीत पैरों के पूर्ण निपटारे हेतु अविलम्ब कार्यवाही करके इस विभाग को सूचित किया जाए।

(क) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 8/84 से 3/89

पैरा–1 (बी)	अनिर्णीत
पैरा–3 (1)	अनिर्णीत
पैरा–3 (2)	अनिर्णीत
पैरा–3 (3)	अनिर्णीत
पैरा–3 (4)	अनिर्णीत
पैरा–3 (5)	अनिर्णीत
पैरा–3 (6)	अनिर्णीत
पैरा–3 (8)	अनिर्णीत
पैरा–4 (1)	अनिर्णीत
पैरा–4 (2)	अनिर्णीत
पैरा–4 (5)	अनिर्णीत
पैरा–5	अनिर्णीत
पैरा–6 (3)	अनिर्णीत
पैरा–7 (1)	अनिर्णीत
पैरा–7 (2)	अनिर्णीत
पैरा–7 (3)	अनिर्णीत
पैरा–8 (2)	अनिर्णीत

पैरा—8 (3)	अनिर्णीत
पैरा—8 (4)	अनिर्णीत
पैरा—8 (5) (ए)	अनिर्णीत
पैरा—8 (5) (बी)	अनिर्णीत
पैरा—8 (5) (सी)	अनिर्णीत
पैरा—8 (6) (ए)	अनिर्णीत
पैरा—8 (6) (बी)	अनिर्णीत
पैरा—8 (6) (सी)	अनिर्णीत
पैरा—8 (8)	अनिर्णीत
पैरा—8 (10)	अनिर्णीत
पैरा—8 (11)	अनिर्णीत
पैरा—8 (12)	अनिर्णीत
पैरा—8 (13)	अनिर्णीत
पैरा—8 (17)	अनिर्णीत
पैरा—8 (18)	अनिर्णीत
पैरा—11 (1)	अनिर्णीत
पैरा—11 (2)	अनिर्णीत

(ख) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/89 से 3/92

पैरा—4 (1)	अनिर्णीत
पैरा—4 (3)	अनिर्णीत
पैरा—4 (7)	अनिर्णीत
पैरा—6 (1)	अनिर्णीत
पैरा—6 (2)	अनिर्णीत
पैरा—6 (3)	अनिर्णीत
पैरा—8 (1)	अनिर्णीत
पैरा—9 (1)	अनिर्णीत
पैरा—9 (2)	अनिर्णीत
पैरा—10	अनिर्णीत

<u>(ग) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/92 से 3/94</u>

पैरा–4	निर्णीत
पैरा–6 (क)	अनिर्णीत
पैरा–6 (ख)	अनिर्णीत
पैरा–6 (ग) (3)	अनिर्णीत
पैरा–6 (च)	अनिर्णीत
पैरा–6 (छ)	अनिर्णीत
पैरा–6 (झ)	अनिर्णीत
पैरा–6 (ट, ठ, ढ, ण, त, थ, द, ध)	अनिर्णीत
पैरा–7	निर्णीत (₹23830 जमा करवाने की पुष्टि उपरान्त)
पैरा–8 (क)	अनिर्णीत
पैरा–8 (ख)	अनिर्णीत
पैरा–9 (क)	अनिर्णीत
पैरा–9 (ख)	अनिर्णीत
पैरा–10 (क)	अनिर्णीत
पैरा–10 (ख)	अनिर्णीत
पैरा–12 (क)	अनिर्णीत
पैरा–12 (ख)	अनिर्णीत
पैरा–12 (घ)	अनिर्णीत
पैरा–13 (क)	अनिर्णीत
पैरा–13 (ग)	अनिर्णीत
पैरा–13 (घ)	अनिर्णीत
पैरा–13 (ङ)	अनिर्णीत
पैरा–14	अनिर्णीत
पैरा–15 (ख)	अनिर्णीत

<u>(घ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/94 से 3/98</u>

पैरा–4 (7) (क)	अनिर्णीत
पैरा–4 (7) (ख)	अनिर्णीत
पैरा–4 (8) (क)	अनिर्णीत
पैरा–4 (9) (क, ख, ग, घ)	अनिर्णीत
पैरा–4 (10)	अनिर्णीत
पैरा–4 (11) (क, ख)	अनिर्णीत
पैरा–4 (15) (क, ख, ग)	अनिर्णीत
पैरा–4 (20)	अनिर्णीत
पैरा–4 (21) (क)	अनिर्णीत
पैरा–4 (22)	अनिर्णीत
पैरा–4 (23)	अनिर्णीत
पैरा–4 (24)	अनिर्णीत
पैरा–5 (1) (क)	अनिर्णीत
पैरा–5 (1) (ख)	अनिर्णीत
पैरा–5 (1) (ग)	अनिर्णीत
पैरा–5 (2) (क)	अनिर्णीत
पैरा–5 (2) (ख)	अनिर्णीत
पैरा–5 (2) (ग)	अनिर्णीत
पैरा–5 (3)	अनिर्णीत
पैरा–5 (4)	अनिर्णीत
पैरा–5 (5)	अनिर्णीत
पैरा–5 (6)	अनिर्णीत
पैरा–6 (1) (क)	अनिर्णीत
पैरा–6 (1) (ख)	अनिर्णीत
पैरा–6 (2) (क)	अनिर्णीत
पैरा–6 (2) (ख)	अनिर्णीत
पैरा–6 (4)	अनिर्णीत

पैरा–6 (6)	अनिर्णीत
पैरा–7 (1)	अनिर्णीत
पैरा–7 (2) (क)	अनिर्णीत
पैरा–7 (2) (ख)	अनिर्णीत
पैरा–7 (2) (ग)	अनिर्णीत
पैरा–7 (3) (क)	अनिर्णीत
पैरा–7 (3) (ख)	अनिर्णीत
पैरा–8 (1)	अनिर्णीत
पैरा–8 (2) (क, ख)	अनिर्णीत
पैरा–8 (3) (क)	अनिर्णीत
पैरा–8 (3) (ख)	अनिर्णीत
पैरा–8 (4)	अनिर्णीत
पैरा–8 (5)	अनिर्णीत
पैरा–9 (3) (क)	अनिर्णीत
पैरा–9 (3) (ख)	अनिर्णीत
पैरा–9 (6) (क)	अनिर्णीत
पैरा–10 (4) (क)	अनिर्णीत
पैरा–10 (4) (ख)	अनिर्णीत
पैरा–10 (4) (ग)	अनिर्णीत
पैरा–10 (5)	अनिर्णीत
पैरा–10 (6)	अनिर्णीत
पैरा–10 (7)	अनिर्णीत
पैरा–11 (1)	अनिर्णीत
पैरा–11 (2)	अनिर्णीत
पैरा–11 (3)	अनिर्णीत
पैरा–13 (1)	अनिर्णीत
पैरा–13 (2) (क)	अनिर्णीत
पैरा–13 (2) (ख)	अनिर्णीत
पैरा–13 (4)	अनिर्णीत

पैरा—13 (5)	अनिर्णीत
पैरा—14 (1) (क)	अनिर्णीत
पैरा—14 (1) (ग)	अनिर्णीत
पैरा—14 (4)	अनिर्णीत
पैरा—14 (6)	अनिर्णीत
पैरा—14 (8)	अनिर्णीत
पैरा—14 (9)	अनिर्णीत
पैरा—17	अनिर्णीत

(ङ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/98 से 3/99

पैरा—4	अनिर्णीत
पैरा—5 (क)	अनिर्णीत
पैरा—5 (ख)	अनिर्णीत
पैरा—5 (ग)	अनिर्णीत
पैरा—5 (ग) (1)	अनिर्णीत
पैरा—5 (ग) (2)	अनिर्णीत
पैरा—5 (घ)	अनिर्णीत
पैरा—5 (ङ)	अनिर्णीत
पैरा—5 (च)	अनिर्णीत
पैरा—5 (छ)	अनिर्णीत
पैरा—6	अनिर्णीत
पैरा—7 (1)	अनिर्णीत
पैरा—7 (2)	अनिर्णीत
पैरा—7 (3)	अनिर्णीत
पैरा—7 (4)	अनिर्णीत
पैरा—7 (5)	अनिर्णीत
पैरा—7 (6)	अनिर्णीत
पैरा—8	अनिर्णीत
पैरा—9	अनिर्णीत

पैरा—10	अनिर्णीत
पैरा—11 (1)	अनिर्णीत
पैरा—11 (2)	अनिर्णीत
पैरा—11 (3)	अनिर्णीत
पैरा—11 (4)	अनिर्णीत
पैरा—11 (6)	अनिर्णीत

(च) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/99 से 3/2001

पैरा—6	अनिर्णीत
पैरा—7	अनिर्णीत
पैरा—8	अनिर्णीत
पैरा—9	अनिर्णीत
पैरा—10	अनिर्णीत
पैरा—11 (4)	अनिर्णीत
पैरा—11 (5)	अनिर्णीत
पैरा—11 (8)	अनिर्णीत
पैरा—11 (9) (i)(ii)(iii)	अनिर्णीत
पैरा—11 (10) (1)	अनिर्णीत
पैरा—11 (10) (2)	अनिर्णीत
पैरा—11 (10) (3)	अनिर्णीत
पैरा—11 (10) (4)	अनिर्णीत
पैरा—11 (11) (1)	अनिर्णीत
पैरा—11 (11) (2)	अनिर्णीत
पैरा—12 (1)	अनिर्णीत
पैरा—12 (2)	अनिर्णीत
पैरा—13	अनिर्णीत
पैरा—14 (1)	अनिर्णीत
पैरा—14 (2)	अनिर्णीत
पैरा—14 (ख)	अनिर्णीत

पैरा—14 (ग) (1)	अनिर्णीत
पैरा—14 (ग) (2)	अनिर्णीत
पैरा—15 (1)	अनिर्णीत
पैरा—15 (2)	अनिर्णीत
पैरा—15 (3)	अनिर्णीत

<u>(छ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/01 से 3/05</u>

पैरा—5	निर्णीत	(हिमाचल प्रदेश सरकार निदेशालय उच्च शिक्षा विभाग के पत्र संख्या ई0डी0एन0—(एच)(8) बी(2)—1/98 दिनांक 6.11.98 के अनुसार प्रधानाचार्य शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक स्टॉक रखने हेतु सक्षम)
पैरा—6	निर्णीत	(प्रस्तुत उतर ₹14216 की किताबों को वितीय वर्ष 2011—12 के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह के दौरान बांटे जाने की पुष्टि उपरान्त)
पैरा—7 (i)	अनिर्णीत	
पैरा—7 (ii)	अनिर्णीत	
पैरा—8	अनिर्णीत	
पैरा—9	निर्णीत	(प्रस्तुत उतर एवं खरीदे गए सामान के प्रयोग/उपयोग की सत्यापना उपरान्त)
पैरा—10	निर्णीत	(प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)
पैरा—11	अनिर्णीत	
पैरा—12	अनिर्णीत	
पैरा—13	अनिर्णीत	
पैरा—14	अनिर्णीत	
पैरा—15	अनिर्णीत	
पैरा—16 (i)	निर्णीत	(प्रस्तुत उतर एवं जलपान बिलों की सत्यापना उपरान्त)
पैरा—16 (ii)	निर्णीत	(—यथोपरि—)
पैरा—16 (iii) (क)	निर्णीत	(—यथोपरि—)
पैरा—16 (iii) (ख)	अनिर्णीत	
पैरा—17	अनिर्णीत	
पैरा—18	निर्णीत	(निदेशालय उच्च शिक्षा विभाग के पत्र संख्या ई0डी0एन0(एच)(27)—(21) एन0एस0एस0—ग्रांट के अनुसार प्रधानाचार्य सक्षम व राशि लौटाने की पुष्टि उपरान्त)

पैरा–19	निर्णीत (निदेशालय उच्च शिक्षा विभाग के पत्र संख्या ई0डी0एन0 (एच) (8)–2–1/98 दिनांक 6.11.98 के अनुसार)
पैरा–20	अनिर्णीत
पैरा–20 (i)	निर्णीत (अनुपालना की सत्यापना उपरान्त)
पैरा–20 (ii)	निर्णीत (अनुपालना की सत्यापना उपरान्त)
पैरा–20 (iii)	अनिर्णीत
पैरा–22	निर्णीत (प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)
पैरा–23	निर्णीत (₹17221 जमा करवाने की पुष्टि उपरान्त)
पैरा–24	निर्णीत (अनुपालना की सत्यापना उपरान्त)

(ज) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/05 से 3/10

पैरा–5	निर्णीत (प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)
पैरा–6	निर्णीत (प्रस्तुत उत्तर उवं क्रय कम्पयूटरों की भौतिकी विज्ञान एवं गणित प्रयोगशाला के भण्डार रजिस्टरों में प्रविष्टि की सत्यापना उपरान्त)
पैरा–7 (i)	अनिर्णीत
पैरा–7 (ii)	अनिर्णीत
पैरा–8	अनिर्णीत
पैरा–9	अनिर्णीत
पैरा–10 (1)	अनिर्णीत
पैरा–10 (2)	अनिर्णीत
पैरा–11	अनिर्णीत
पैरा–12	निर्णीत (₹102015 दिनांक 9.3.09 को मिश्रित निधि में जमा करवाई गई राशि ₹392250 में सम्मिलित)
पैरा–13	निर्णीत (हिमाचल प्रदेश सरकार शिक्षा निदेशालय के पत्र संख्या ई0डी0एन0–(एच) (8) (बी) (2) दिनांक 6.11.98 के अनुसार प्रधानाचार्य शिक्षक एवं गैर शिक्षक कर्मचारी को अस्थाई नियुक्ति देने हेतु सक्षम)
पैरा–14	अनिर्णीत
पैरा–15	निर्णीत (अग्रिम रजिस्टर की सत्यापना उपरान्त एवं अग्रिम राशि ₹82000 के समायोजन की पुष्टि उपरान्त)
पैरा–16 (i)	अनिर्णीत
पैरा–16 (ii)	निर्णीत (स्टॉक प्रविष्टि व जारी करने के प्रविष्टियों की सत्यापना उपरान्त)

पैरा–17	आंशिक निर्णीत (क्रम संख्या 4, 6 से 8 निपटारे हेतु शेष)
पैरा–18	निर्णीत (अनुपालना / वांन्छित अभिलेख की सत्यापना उपरान्त)
पैरा–19	अनिर्णीत
पैरा–20	अनिर्णीत
पैरा–21	अनिर्णीत
पैरा–22	निर्णीत (प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)
पैरा–23	अनिर्णीत
पैरा–24	निर्णीत (₹39520 मिश्रित निधि में जमा करवाने की पुष्टि उपरान्त)
पैरा–25	अनिर्णीत

भाग–दो

2 (क) वर्तमान अंकेक्षणः–

राजकीय महाविद्यालय, ढलियारा के वर्तमान छात्र निधि लेखों का अंकेक्षण, श्री राज कुमार, अनुभाग अधिकारी व श्री सुशील कुमार, आर्टिकल असिस्टैन्ट द्वारा दिनांक 1.3.13 से 16. 3.13 तक महाविद्यालय मे ंकिया गया, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए है। विस्तृत जांच हेतु निम्नलिखित मासो का चयन किया गया।

आयः– 6 / 10, 6 / 11

व्ययः– 12 / 10, 12 / 11

अंकेक्षण. एवं निरीक्षण प्रतिवेदन महाविद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं एवं अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। विद्यालय द्वारा प्रदान की गई किसी भी गलत सूचना एवं सूचना प्रदान न करने के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग का उत्तरदायित्व केवल विस्तृत जॉच हेतु चयनित उपरोक्त उल्लेखित मासों तक ही सीमित है।

(ख) वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि के दौरान निम्नलिखित प्रधानाचार्य आहरण एवं वितरण अधिकारी के रूप में महाविद्यालय में कार्यरत्त रहे।

क्र0सं0	**आहरण एवं वितरण अधिकारी का नाम**	**अवधि**
1	श्री रक्षपाल जिंदल	1.4.10 से 31.3.12

3 अंकेक्षण शुल्कः–

राजकीय महाविद्यालय, ढलियारा के छात्र निधि लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण का अंकेक्षण शुल्क वास्तविक प्राप्तियों के आधार पर राशि ₹14000/–आंका गया, जिसे प्रधानाचार्य द्वारा के0सी0सी0वी0, नैहरनपुखर के बैंक ड्राफ्ट संख्या 774025 दिनांक 13.3.13 के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश के नाम पंजीकृत डाक द्वारा भेज दिया गया। अंकेक्षण शुल्क का विवरण निम्नलिखित प्रकार से हैः–

क्र0सं0	**वित्तीय वर्ष**	**आय (₹)**	**अंकेक्षण शुल्क (₹)**
1	2010–11	3148835	7000
2	2011–12	2348796	7000
		योग	**14000**

4 वित्तीय स्थितिः–

(क) राजकीय महाविद्यालय, ढलियारा के वर्तमान छात्र निधि लेखों की अवधि 1.4.10 से 31.3. 2012 तक की वित्तीय स्थिति व दिनांक 31.3.2012 को विभिन्न निधियों की रोकड़ वहियों के अन्तिम शेषों का विवरण बैंक खाता सहित परिशिष्ट "क" पृष्ठ संख्या 1 से 4 तक पर उल्लेखित एवं संलग्न है।

(ख) निधि लेखों की जांच करने पर पाया गया कि छात्र निधि से प्राप्तियों को ध्यान में रखते हुए बहुत ही कम राशि का उपयोग निधि के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया या किया ही नहीं गया। ऐसा प्रतीत होता है कि पाठशाला द्वारा निवेश के उद्देश्य की पूर्ति हेतु ही की जा रही है।

छात्र निधियो ंसे उचित धन राशि नियमानुसार व्यय न करने के परिणामस्वरूप छात्र भी इन गतिविधियों से लाभन्वित होने से वचित रहे छात्र निधियों से नियमानुसार छात्रों के कल्याणार्थ/आवश्यकता को ध्यान में न रखते हुए व्यय न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

(ग) उचित वित्तीय प्रबन्धन न करने के कारण अतिरिक्त ब्याज की आय से वंचित होनाः—

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि संस्था द्वारा विभिन्न छात्र निधियों में पड़ी राशियों को बचत बैंक खातों में ही रखा गया। यह राशियॉ पाठशाला की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त पाई गई। यदि वास्तविक व्यय को ध्यान में रखते हुए इन छात्र निधियों की अतिरिक्त राशियों को सावधि जमा योजना में निवेश किया जाता तो पाठशाला छात्र निधि को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय अर्जित होती जिसका उपयोग छात्रों की भलाई हेतु किया जा सकता था। संस्था द्वारा छात्र निधियों में पाई गई अतिरिक्त राशियों का उचित प्रकार से वित्तीय प्रबन्धन न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व भविष्य में अतिरिक्त राशियों का सही प्रकार से उचित वित्तीय प्रबन्धन किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए ताकि छात्र निधि को अतिरिक्त ब्याज की प्राप्ति से वंचित न होना पड़े।

5 ₹246780 की कम वसूली बारेः—

आय की जांच करने पर पाया गया कि वितीय वर्ष 2010—11 व 2011—12 में स्नातक विभाग प्रथम वर्ष व द्वितीय वर्ष के गणित व वाणिज्य विषय विद्यार्थियों से कम्पयूटर प्रयोगिक निधि ₹15.00 प्रति माह की दर से नहीं वसूला गया। निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला—2 के पत्र संख्या ई0ड0एन0ए0—के0एच0ए0 (8) 1/2001 दिनांक 1.6.2010 के निर्देशानुसार गणित व वाणिज्य पढ़ने वाले सभी छात्रों से ₹15.00 प्रति माह की दर से कम्पयूटर प्रयोगिक निधि वसूली जानी अनिवार्य है लेकिन महाविद्यालय में वितीय वर्ष 2010—11 व 2011—12 में अन्तिम वर्ष में ही उक्त संकाय के छात्रों से ही कम्पयूटर प्रयोगिक निधि वसूला गया। चर्चा के दौरान बताया गया कि वाणिज्य व गणित विषयों में प्रैक्टिकल अन्तिम वर्ष में ही होता है। इसलिए केवल अन्तिम वर्ष के छात्रों से ही कम्पयूटर प्रयोगिक शुल्क वसूला गया। जो कि तर्क संगत प्रतीत नहीं होता क्योंकि उपरोक्त उल्लेखित पत्र संख्या ई0डी0 एन—ए0के0एच0ए0 (8) 1/2001 दिनांक 1.6.2010 में यह कहीं उल्लेखित नहीं है कि गणित व वाणिज्य विषय के छात्रों से अन्तिम वर्ष में ही कम्पयूटर प्रयोगिक निधि वसूली जानी है। कम्पयूटर प्रयोगिक निधि उक्त विषय चुनने वाले छात्रों से प्रथम, द्वितीय व अन्तिम वर्ष अर्थात तीनों वर्षों में वूसला जाना अनिवार्य है। अतः उक्त कम्पयूटर प्रयोगिक निधि प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के छात्रों से वसूलने/न वसूलने का स्पष्टीकरण निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग से अविलम्ब

प्राप्त किया जाए व कम्पयूटर प्रयोगिक शुल्क प्रथम व द्वितीय वर्ष के छात्रों से वसूले जाने की अवस्था में निम्नलिखित विवरणानुसार वितीय वर्ष 2010–11 व 2011–12 म्रें कम वसूली गई राशि सम्बन्धित उतरदायी अधिकारी/कर्मचारी से वसूली जानी अपेक्षित है। कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्र0 सं0	वित्तीय वर्ष	संकाय का नाम व वर्ष	विषय	छात्रों की सं0	कम्पयूटर प्रयोगिक निधि ₹15 मासिक व ₹180 वार्षिक	कम वसूली गई राशि (₹)
1	2010–11	कला प्रथम वर्ष	गणित	30	180	5400
		कला द्वितीय वर्ष	गणित	15	180	2700
		वणिज्य प्रथम वर्ष	गणित	262	180	47160
		वणिज्य द्वितीय वर्ष	वणिज्य	112	180	20160
		बी0एस0सी0 प्रथम वर्ष	गणित	221	180	39780
		बी0एस0सी0 द्वितीय वर्ष	गणित	47	180	8460
2	2011–12	कला प्रथम वर्ष	गणित	18	180	3240
		कला द्वितीय वर्ष	गणित	5	180	900
		वणिज्य प्रथम वर्ष	गणित	253	180	45540
		वणिज्य द्वितीय वर्ष	वणिज्य	160	180	28800
		बी0एस0सी0 प्रथम वर्ष	गणित	210	180	37800
		बी0एस0सी0 द्वितीय वर्ष	गणित	38	180	6840
					योग	**246780**

6 बरसर पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त राशि का 1/3 भाग सरकारी कोष में जमा न करवानाः–

व्यय की जांच करने पर पाया गया किवाउचर संख्या 6 दिनांक 8.4.11 के अन्तर्गत श्री ओ0सी0 डोगरा, प्राध्यापक अर्थशास्त्र को अवधि 1.4.10 से 31.3.11 तक ₹500/– प्रति माह की दर से 12 माह हेतु ₹6000/–बतौर बरसर कार्य करने की एवज में पारिश्रमिक के रूप में दिया गया है। पूरक नियम 11 के प्रावधान के अन्तर्गत प्राप्त पारिश्रमिक का 1/3 भाग अर्थात ₹2000/–सरकारी कोष में जमा करवाना अनिवार्य है। अतः पूरक

नियम—11 के प्रावधान की अनुपालना न करने का कारण स्पष्ट किया जाए व सम्बन्धित प्राध्यापक से देय राशि की वसूली करने उपरान्त यह राशि सरकारी कोष में जमा करवाई जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त अवधि 1.4.01 से 31.3.12 तक के दौरान पारिश्रमिक के रूप में बरसरों को किए गए भुगतान का विवरण तैयार करने उपरान्त उक्त अवधि के दौरान पारिश्रमिक के रूप में बरसरों को किए गए भुगतान का विवरण तैयार करने उपरान्त उक्त अवधि के दौरान पारिश्रमिक के रूप में बरसरों को किए गए कुल भुगतान का 1/3 भाग पूरक नियम—11 की अनुपालना से सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

7 खेलकूद प्रतियोगिताओं हेतु यात्रा रियायती वाऊचर प्राप्त करके न करना संयुक्त भोजनालय की रसीदों का न होना व जलपान के बिलों का न होनाः—

व्यय की जांच करने पर पाया गया कि खेल निधि से विभिन्न मासों के दौरान, विभिन्न वाउचरों के अन्तर्गत खेलकूद प्रतियोगिताओं हेतु निम्नलिखित भुगतान किया गया है जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से हैः—

क्र0सं0	वा0सं0 /माह	प्रतियोगिता का नाम व अवधि	विवरण	राशि ₹ में
1	18 12/10	इन्टर कॉलेज रैसलिंग खेलकूद प्रतियोगिता, ढलियारा 29.8.10 से 1.9.10	दैनिक भत्ता (9 छात्र ₹100 प्रति छात्र की दर से, 3 दिन हेतु)	2700
			पूर्वाभ्यास मैचों के दौरान जलपान व्यय (20.8.10 से 29.8.10 तक) (9 छात्र, ₹25 की दर से 10 दिन हेतु)	2250
			मैच के दौरान जलपान व्यय	675
			दवाईयां	701
			स्थानापन्न व्यय	720
			दरी व्यय	360
				7406

			अग्रिम राशि	6000
			शेष भुगतान	1406
2	17 12/10	इन्टर कॉलेज वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता, राजकीय महाविद्यालय चुवाड़ी (10.9.10 से 12.9.10)		2160
			किराया (8 छात्र, ₹135 प्रति छात्र की दर से आने व जाने हेतु 8X135X2 दैनिकी भत्ता)	3200
			(8 छात्र, ₹100 प्रति छात्र की दर से 4 दिन हेतु दिनांक 9.09.10 से 12.9.10 तक)	
			पूर्वाभ्यास मैचों के दौरान जलपान व्यय, दिनांक 30.8.10 से 8.9.10 तक (8 छात्र, ₹25 प्रति छात्र की दर से 10 दिन हेतु)	2000
			मैच के दौरान जलपान व्यय	200
			स्थानापन्न व्यय	670
			दवाईयां	
			दरी व्यय	457
			यात्रा भत्ता व दैनिकी भत्ता (श्रीमती रीतू शर्मा प्रवक्ता अंग्रेजी पी0टी0ए0)	666
			योग	**10028**
			अग्रिम राशि	7000
			शेष भुगतान	3028
3	19 12/10	इन्टर कॉलेज वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता राजकीय महाविद्यालय चम्बा 6.9.10 से 9.9.10 तक	किराया (8 छात्र, ₹279 प्रति छात्र की दर से आने व जाने हेतु 8X279X2)	4464
			दैनिकी भत्ता (8 छात्र, ₹100 प्रति छात्र की दर से 4 दिन हेतु 8X100X4)	3200

			पूर्वाभ्यास मैचों के दौरान जलपान व्यय, दिनांक 26.8.10 से 4.9.10 तक (8 छात्र, ₹25 प्रति छात्र की दर से 10 दिन हेतु)	2000
			मैच के दौरान जलपान व्यय	200
			स्थानापन्न व्यय	720
			दरी व्यय	720
			दवाईयां	682
			यात्रा भत्ता व दैनिकी भत्ता (श्री सुशील कुमार)	888
				12874
			अग्रिम राशि	9000
			शेष भुगतान	3874
4	53 12/11	बॉलीबॉल (कन्या) चैम्पियनशिप, राजकीय महाविद्यालय मण्डी 16.10.11 से 17.10. 11 तक	किराया	1883
			दैनिकी भत्ता (12 छात्राऐं, ₹100 प्रति छात्र की दर से 4 दिन हेतु)	4800
			पूर्वाभ्यास मैचों के दौरान जलपान व्यय, दिनांक 5.10.11 से 14.10.11 तक (12 छात्राएं, ₹25 प्रति छात्र की दर से 10 दिन हेतु)	3000
			मैच के दौरान जलपान व्यय	600
			स्थानापन्न व्यय	600
			दरी व्यय	600
			दवाईयां	316
			यात्रा भत्ता व दैनिकी भत्ता (पूजा देवी, कम्पयूटर अनुदेशक)	502
			यात्रा भत्ता व दैनिकी भत्ता (रीतू भारद्वाज,	582

			कम्पयूटर सहायक प्रोफेसर)	
				12883
			अग्रिम राशि	8000
			शेष भुगतान	4883
5	54 12/11	कबडडी (लड़के) खेलकूद प्रतियोगिता, राजकीय महाविद्यालय (सीमा) रोहड़ू 14.10.11 से 16.10.11 तक	किराया	6700
			दैनिकी भत्ता (12 छात्र, ₹100 प्रति छात्र की दर से 4 दिन हेतु)	4800
			पूर्वाभ्यास मैचों के दौरान जलपान व्यय, दिनांक 1.10.11 से 10.10.11 तक (12 छात्र, ₹25 प्रति छात्र की दर से 10 दिन हेतु)	3000
			मैच के दौरान जलपान व्यय	300
			मैच फीस	400
			वैडिंग खर्च	480
			दवाईयां	445
			यात्रा भत्ता व दैनिकी भत्ता (जयप्रकाश, एस0एल0ए0)	1128
				17253
			अग्रिम राशि	12000
			शेष भुगतान	5253
6	55 12/11	क्रिकेट चैम्पियनशिप राजकीय महाविद्यालय कांगड़ा 16.10.11 से 18.10.11	किराया (16 छात्र, ₹48 प्रति छात्र की दर से आने व जाने हेतु 16X48X2)	1536
			दैनिकी भत्ता (16 छात्र ₹100 प्रति छात्र की दर से 3 दिन हेतु)	4800

			पूर्वाभ्यास के दौरान जलपान व्यय, दिनांक 8.10.11 से 14.10.11 तक (16 छात्र, ₹25 प्रति छात्र की दर से 10 दिन हेतु)	4000
			मैच के दौरान जलपान व्यय	400
			स्थानापन्न व्यय	600
			दरी व्यय	450
			यात्रा भत्ता व दैनिकी भत्ता (श्री सुशील कुमार)	356
				12142
			अग्रिम राशि	8000
			शेष भुगतान	4142
7	56 12/11	हैडवॉल चैम्पियनशिप, राजकीय महाविद्यालय बिलासपुर 2.11.11 से 4.11.11	किराया	2590
			दैनिकी भत्ता (12 छात्र, ₹100 प्रति छात्र की दर से 4 दिन हेतु)	4800
			पूर्वाभ्यास मैचों के दौरान जलपान व्यय (12 छात्र, ₹25 प्रति छात्र की दर से 10 दिन हेतु)	3000
			मैच के दौरान जलपान व्यय	300
			स्थानापन्न व्यय	300
			दरी व्यय	450
			यात्रा भत्ता व दैनिकी भत्ता (मुकेश कुमार, सहायक प्रोफेसर)	626
				12066

उपरोक्त उल्लेखित व्यय वाऊचरों की जांच करने पर निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई।

(i) उपरोक्त क्रम संख्या 2, 3 व 6 पर उल्लेखित प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु यात्रा हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम से रियायती वाउचर प्राप्त करने के बगैर की गई है, जबकि उक्त प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु यात्रा हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम से रियायती वाऊचर प्राप्त करके आवश्यक छूट का लाभ प्राप्त किया जाना आपेक्षित था जिससे छात्र निधि पर अनावश्यक भार नहीं पड़ता। अतः हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम से रियायती वाऊचर प्राप्त न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व किराए के रूप में अधिक भुगतान की गई राशि का उतरदायित्व निर्धारित किया जाए।

(ii) उपरोक्त उल्लेखित क्रम संख्या 1 से 7 तक दैनिकी भत्ते के रूप में भुगतान की गई राशि ₹28300.00 को आयोजक महाविद्यालयों के संयुक्त भोजनालयों में जमा नहीं करवाई गई व न ही संयुक्त भोजनालय में राशि जमा करवाने की रसीदें अभिलेख में संलग्न है। शिक्षा संहिता 2001 के नियम 4.6.2 में दिए गए नोट के अनुसार किसी भी छात्र को नगद राशि नहीं दी जा सकती है व शिक्षा संहिता 2001 के नियम 4.6.1 (x) के अनुसार खेलकूद प्रतियोगिताओं के दौरान छात्रों को देय दैनिकी भत्ते की राशि को संयुक्त भोजनालय में जमा करवाई जानी व संयुक्त भोजनालय की रसीद प्राप्त करना आपेक्षित था। संयुक्त भोजनालय की रसीदों के अभाव में किसी भी दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः वांन्छित संयुक्त भोजनालय की रसीदों को सम्बन्धित आयोजक महाविद्यालयों से प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाए ताकि किसी भी दुरूपयोग की सम्भावना को नकारा जा सके।

(iii) उपरोक्त क्रम संख्या 1 व 2 पर उल्लेखित पूर्वाभ्यास मैचों के दौरान जलपान पर व्यय दर्शाई गई राशि ₹4250.00 व क्रम संख्या 1, 2, 4 व 5 पर उल्लेखित मैचों के दौरान जलपान पर व्यय दर्शाई गई राशि ₹1775/—कुल ₹6025.00 से सम्बन्धित कोई भी बिल/वाउचर अभिलेख में मौजूद नहीं है। बिल/वाउचर के अभाव में जलपान पर व्यय दर्शाई गई राशि के दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः वांन्छित बिल/वाउचर प्राप्त करके सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए अन्यथा सम्पूर्ण राशि की वसूली भुगतान करने हेतु उतरदायी अधिकारी/कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए।

(iv) क्रम संख्या 2 पर उल्लेखित श्रीमती रीतू शर्मा, प्रवक्ता अंग्रेजी (पी0टी0ए0) को किराये के रूप में ₹165.00 आने व ₹165.00 जाने हेतु भुगतान किया गया जबकि उक्त प्रतियोगिता में आने जाने हेतु छात्रों को किराये के रूप में ₹135.00 आने व ₹135.00 जाने हेतु भुगतान किया गया। अतः ₹135.00 किराये की जगह ₹165.00 किराया देने के कारण आने व जाने हेतु ₹60.

00 का अधिक एवं गलत भुगतान किया गया है। उक्त ₹60.00 अधिक एवं गलत भुगतान की वसूली सम्बन्धित उतरदायी प्रवक्ता से करने उपरान्त यह राशि छात्र निधि में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए। कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(v) क्रम संख्या 1 पर उल्लेखित क्रय की गई दवाईयों की स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्रविष्टियां व खपत से सम्बन्धित अभिलेख मौजूद नहीं है। स्टॉक प्रविष्टियों व खपत/वितरण से सम्बन्धित अभिलेख के अभाव में क्रय की गई दवाईयों के दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः वांन्छित अभिलेख तैयार करने उपरान्त सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए ताकि किसी भी दुरूपयोग की सम्भावना को नकारा जा सके।

8 <u>105 डैस्कों की मुरम्मत पर ₹60449.00 का व्यय करने बारेः–</u>

व्यय की जांच करने पर पाया गया कि फर्नीचर मुरम्मत निधि से माह 11/10 के दौरान वाउचर संख्या–2, दिनांक 2.11.10 को मैसर्ज धीमान स्टील इन्डस्ट्री, कलोहा को 105 डबल सीटड डैस्कों की मुरम्मत करवाने हेतु राशि ₹60449.00 का भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से हैः–

क्र0 सं0	बिल सं0/दिनांक	फर्म का नाम एवं पता	सामान का विवरण	मात्रा	दर ₹	मूल्य ₹
1	469/30.10.10	धीमान स्टील इन्डस्ट्रीज, कलोहा	पैन्ट	53 डैस्क	130	6890
			लैमीनेटड बोर्ड	315 वर्ग फुट	50	15750
			वी0पी0 सीट	85 वर्ग फुट	30	2550
			पाईप	108 फुट	15	1620
			बैल्डिंग पॉइन्ट	200	8	1600
			लैमीनेटड बोर्ड	102 वर्ग फुट	50	5100
			स्क्रयू	383 नम्बर	3	1149
						34659
2	470/30.10.10	धीमान स्टील इन्डस्ट्रीज, कलोहा	पैन्ट	52 नं0	130	6760
			बैल्डिंग पॉइन्ट	50 नं0	8	400
			पाईप	65 फुट	15	975

लैमीनेटड बोर्ड	327.75 वर्ग फुट	50	16387.50
वी0पी0 सीट	42.25 वर्ग फुट	30	1267.50
			25790.00

क्रम संख्या (1) व (2) का कुल योग (34659+25790)=₹60449)

उपरोक्त उल्लेखित व्यय वाउचर की जॉच करने पर निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई।

(i) उपरोक्त उल्लेखित 105 डबल सीटड डैस्कों की मुरम्मत करवाने की संस्तुति भौतिक सत्यापन कमेटी द्वारा प्रदान नहीं की गई अर्थात भौतिक सत्यापन कमेटी का गठन नहीं किया गया। भौतिक सत्यापन कमेटी के बगैर यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है कि वास्तव में कितने डब्ल सीवड डैस्क मुरम्मत करवाने योग्य थे। अतः भौतिक सत्यापन कमेटी की संस्तुति के बगैर ही मुरम्मत करवाए गए 105 डबल सीटड डैस्कों का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

(ii) उपरोक्त उल्लेखित 105 डबल सीटड डैस्कों की मुरम्मत पर 750.75 वर्ग फीट लैमीनेटिड बोर्ड का प्रयोग किया गया दर्शाया गया जिस पर ₹37520.50 की राशि व्यय की गई परन्तु किये गए कार्य के आधार पर आवश्यक मापन नहीं किया गया जिससे वास्वत में प्रयोग हुए लेमीनेटिड बोर्ड का पता नहीं चलता। आवश्यक मापन करके वास्तविक प्रयोग को सत्यापित किया जाए व अधिक/अनुचित प्रयोग की अवस्था में की वसूली करके राशि छात्र निधि में जमा करवाई जाए।

(iii) उपरोक्त उल्लेखित 105 डबल सीटड डैस्कों की मुरम्मत करवाने पर ₹60449/–का व्यय किया गया अर्थात एक डैस्क की मुरम्मत करवाने पर ₹575.00 दर्शाया गया। अतः प्रत्येक डैस्क की मुरम्मत पर ₹575.00 के किये गए व्यय का औचित्य डैस्क के वास्तविक मूल्य को ध्यान में रखते हुए स्पष्ट किया जाए।

(iv) उक्त डैस्कों का क्रय कब किया गया किस–2 वर्ष में कितने–2 डैस्कों में टूट–फूट हुई, कितने डैस्कों को पैन्ट किया जाना था। कितनों डैस्कों को लेमिनेटिड बोर्ड लगाया जाना था, कितने डैस्कों पर वी0पी0 शीट लगाई जानी थी, कितने डैस्कों में पाईप लगाई जानी थी व कितने प्वाइन्ट बैल्डिंग की जानी थी, इत्यादि महत्वूपर्ण तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक अनुमान व इसके आधार पर आवश्यक सत्यापन नहीं किया गया व विद्यालय प्रशासन द्वारा बिना किसी तकनीकी आंकलन के अभाव में आवश्यक जांच की जानी सम्भव ही थी व अत्याधिक उच्च दरों पर उक्त मुरम्मत करवाई गई प्रतीत होती है। पाई गई त्रुटि बारे स्थिति तथ्यों सहित स्पष्ट की जाए व व किये गए व्यय को ठोस आधार पर उचित ठहराया जाए।

9 नियमों के विपरीत ₹23837.00 के मूल्य की किताबें गृह परीक्षा में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पाने वाले छात्रों को बांटा जानाः—

व्यय की जांच करने पर पाया गया कि अनुपस्थिति शुल्क निधि से वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह के उपलक्ष्य में वाउचर संख्या 72, दिनांक 14.2.11 को श्री उमेश दत, प्रवक्ता गणित को ₹60000/—का अग्रिम दिया गया जिसके समायोजन में दिनांक 15.2.11 को यूनीवर्सल बुक स्टोर, चण्डीगढ को किताबों के क्रय करने पर ₹56937.00 का भुगतान किया गया दर्शाया गया व शेष राशि ₹3063.00 को दिनांक 24.2.1 को निधि में जमा करवाई गई उक्त क्रय की गई किताबों में से ₹33060.00 की किताबें वार्षिक परीक्षा में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को बांटी गई व शेष ₹23837.00 की किताबें गृह परीक्षाओं में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को ईनामों के रूप मं बांटी गई दर्शाई है। नियमानुसार वार्षिक परीक्षाओं में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को ही ईनाम वितरित किए जा सकते है। अतः नियमों के विपरीत गृह परीक्षाओं हेतु बांटे गए ईनामों का औचित्य ठोस तथ्यों सहित स्पष्ट किया जाए। भविष्य में विभिन्न विभागों की वार्षिक परीक्षाओं में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को ही ईनाम वितरित किए जाने सुनिश्चित किए जाएं। अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10 ₹39355.00 के मूल्य के ट्रैक सूटों के वितरण से सम्बन्धित अभिलेख न होनाः—

व्यय की जांच करने पर पाया गया कि अनुपस्थिति शुल्क निधि से विभिन्न मासों के दौरान विभिन्न वाऊचरों के अन्तर्गत वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोहों के दौरान खेल ईनामों के रूप में ट्रैक सूटों के क्रय करने पर ₹39355.00 का भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से हैः—

क्र0 सं0	वा0सं0/माह /दिनांक	फर्म का नाम एवं पता	सामान का विवरण	मात्रा	दर ₹	मूल्य ₹
1	68 5/10	यूनीवर्सल ट्रेड लिंक, शिमला	ट्रैक सूट	25	655.50	16387.50
					वैट 4%	655.10
						17042.60

					भुगतान	17043
2	शून्य/14.2.11	सिटी सेल्स, शिमला	ट्रैक सूट	25	850	21250
					वैट 5**%**	1062
						22312
		क्रम संख्या 1 व 2 का कुल योग (17043+22312)				39355

उपरोक्त उल्लेखित क्रय दर्शाए गए ट्रैक सूटों को खेल निधि के स्टॉक रजिस्टर के पेज संख्या 249 पर खिलाड़ियों को ईनाम स्वरूप बांटा गया दर्शाया गया, लेकिन उक्त ईनामों को कि–2 छात्रों को बांटा गया उनके नाम रोल नम्बर, कक्षा का उल्लेख इत्यादि वर्णित नहीं थे न ही वितरण सूची अभिलेख में मौजूद थी। छात्रों द्वारा ईनामों को कहीं भी प्राप्त नहीं किया गया। उक्त अभिलेख के अभाव में बांटे दर्शाए गए ईनामों के दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः वांन्छित अभिलेख तैयार करने उपरान्त सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए, ताकि किसी भी दुरूपयोग को नकारा जा सके। किसी भी दुरूपयोग की अवस्था में सम्पूर्ण राशि की वसूली दुरूपयोग करने हेतु उतरदायी अधिकारी/कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए।

11 **₹50971.00 के स्मृति चिन्हों के वितरण से सम्बन्धित अभिलेख का न होनाः–**

व्यय की जांच करने पर पाया गया विभिन्न वाऊचरों के अन्तर्गत, विभिन्न मासों के दौरान, विभिन्न समारोहों के उपलक्ष्य में ईनामों का क्रय किया गया जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से हैः–

खेल निधि

क्र0सं0	**वा0सं0/माह**	**समारोह का नाम**	**फर्म का नाम एवं पता**	**सामान का विवरण**	**मात्रा**	**दर ₹**	**मूल्य ₹**
1	6/28.12.11	वार्षिक एथलैटिक मीट 2011–12	मैसर्ज लक्ष्मी ट्रेडर्स, गगरेट अम्ब	वुडन समृति चिन्ह (डबल ब्रास) 3"x5½"	22	200	4400
				वुडन समृति चिन्ह(डबल ब्रास) 3"x5"	22	150	3300
				वुडन समृति	22	125	2750

				चिन्ह(डबल ब्रास) 3"X4.5"				
								10450
2	8/26.12.11	वार्षिक एथलैटिक मीट 2011–12	मैसर्ज लक्ष्मी ट्रेडर्स, गगरेट अम्ब	वुडन समृति चिन्ह (डबल ब्रास)		1	200	200
				वुडन समृति चिन्ह (डबल ब्रास)		1	150	150
				वुडन समृति चिन्ह (डबल ब्रास)		1	125	125
								475
			सांस्कृतिक गतिविधि निधि					
3	18 12/10	वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह	सपना ट्रेडर्स नादौन	स्मृति चिन्ह मॉडल (बड़ा आकार)	1083	30	175	5250
				स्मृति चिन्ह मॉडल (मध्यम आकार)	1083	49	150	7350
				स्मृति चिन्ह मॉडल (छोटा आकार)	1083	43	125	5375
				स्मृति चिन्ह मॉडल (बड़ा आकार)	1083	13	100	1300
								19275
						वैट 4**%**		771
								20046
4	30 12/11	वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह	लक्ष्मी ट्रेडर्स टरेरा, अम्ब	स्मृति चिन्ह 3X5.5		40	200	8000

				स्मृति चिन्ह 3X5	40	150	6000
				स्मृति चिन्ह 3X4.5	40	125	5000
							19000
			साईंस निधि				
5	99/8.12.11	विज्ञान दिवस	कमल स्टोर, कांगड़ा	स्मृति चिन्ह (बड़ा आकार)	3	120	360
				स्मृति चिन्ह (मध्यम आकार)	4	100	400
				स्मृति चिन्ह (छोटा आकार)	3	80	240
							1000
			क्रम संख्या (1) से (5) का कुल योग				50971

उपरोक्त उल्लेखित क्रम किए गए स्मृति चिन्हों की स्टॉक प्रविष्टियां सम्बन्धित निधियों के स्टॉक रजिस्टरों में दर्ज है लेकिन उक्त ईनामों की खपत/वितरण नियमानुसार स्टॉक रजिस्टरों में दर्ज नहीं किया गया अर्थात उपरोक्त उल्लेखित ईनामों को किन–2 छात्रों को बांटा गया है उनके नाम, रोल नं0 कक्षा का उल्लेख नहीं है, न ही वितरण सूची अभिलेख में मौजूद थी । छात्रों द्वारा ईनामों को कहीं भी प्राप्त नहीं किया गया। उक्त अभिलेख के अभाव मे बांटे दर्शाए गए ईनामों के दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः वांन्छित अभिलेख तैयार करने उपरान्त सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए, ताकि किसी भी दुरूपयोग की सम्भावना को नकारा जा सके। किसी भी दुरूपयोग की अवस्था में सम्पूर्ण राशि की वसूली दुरूपयोग करने हेतु उतरदायी अधिकारी/कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए।

12 बिजली के बिलों के रूप में ₹40935.00 का मिश्रित निधि से अनयमित भुगतानः–

व्यय की जांच करने पर पाया गया कि मिश्रित निधि से विभिन्न मासों के महाविद्यालय भवन/कार्यालय की बिजली के बिलों का भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से हैः–

क्र0सं0	माह	राशि ₹ में
1	10/10	12310
2	12/10	10583
3	1/11	9826
4	2/11	8216
	योग	**40935**

उपरोक्त उल्लेखित बिजली के बिलों का भुगतान मिश्रित निधि से करने का "हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अध्यादेश 1973 के अध्याय XLII प्रधानाचार्य को मिश्रित निधि से व्यय करने की शक्तियों में" कोई प्रावधान नहीं है। अतः सम्पूर्ण राशि की उचित स्त्रोत से प्रतिपूर्ति करने उपरान्त मिश्रित निधि में वापिस जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए। अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13 कालातीत पुस्तकालय प्रतिभूति निधि से ₹9000.00 का सुनिश्चित अनाधिकृत एवं अनियमित व्ययः–

व्यय की जांच करने पर पाया गया कि कालातीत (लैप्स) प्रतिभूति निधि से निम्नलिखित मासों के दौरान, निम्नलिखित वाउचरों के अन्तर्गत श्री रविन्द्र सिंह सुपुत्र श्री ज्ञान चन्द, सुनेहत को साउल साप्टवेयर में पुस्तको की प्रविष्टियां दर्ज करने की एवज में डाटा एन्ट्री के रूप में भुगतान किया गया है जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से हैः–

क्र0सं0	वा0सं0	दिनांक	पुस्तकों की मात्रा	प्रति पुस्तक प्रविष्टि की दर ₹2	राशि ₹ में
1	18	12.8.11	1000	2	2000
2	22	12.10.11	1000	2	2000
3	24	10.1.12	2500	2	5000
				योग	**9000**

महाविद्यालय में डाटा एन्ट्री ऑप्रेटर का कोई भी पद स्वीकृत नहीं है। फलस्वरूप डाटा एन्ट्री के रूप में किया गया भुगतान निधि पर उचित एवं वैध प्रभार न होकर अनाधिकृत एवं अनियमित व्यय है। साउल साप्टवेयर में पुस्तकों की प्रविष्टियां दर्ज करने का कार्य लाईब्रेरियन के कार्य क्षेत्र में आता है अर्थात साउल साप्टवेयर में पुस्तकों की प्रविष्टियां दर्ज करने का कार्य लाईब्रेरियन का था, लेकिन उक्त कार्यलाईब्रेरियन द्वारा न करके, अन्य व्यक्ति द्वारा करने पर ₹9000.00 का नियमों के विपरीत अनुचित भुगतान किया गया है। अतः उक्त अनियमित एवं अनाधिकृत व्यय की वसूली सम्बन्धित उतरदायी कर्मचारी/अधिकारी से करने उपरान्त यह राशि सम्बन्धित निधि में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

14 <u>वीडियोग्राफी पर ₹7000.00 का अनुचित एवं अनियमित व्ययः–</u>

व्यय की जांच करने पर पाया गया कि मिश्रित निधि व खेल निधि से वीडियोग्राफी करवाने पर बिन्टू स्टूडियो, ढलियारा को ₹7000.00 का भुगतान किया गया दर्शाया जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से हैः–

क्र0सं0	वा0सं0/माह	सामान का विवरण	मात्रा	दर ₹	मूल्य ₹	निधि का नाम
1	129 12/10	वीडियोग्राफी	5 घंटे	1000 (प्रतिघंटा)	5000	मिश्रित निधि
2	20 12/11	वीडियोग्राफी	2 घंटे	1000 (प्रतिघंटा)	2000	खेल निधि
	क्रम संख्या (1) व (2) का कुल योग				**7000**	

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अध्यादेश 1973 के अध्याय XLII के नियमों के उपरोक्त उल्लेखित वीडियोग्राफी पर व्यय करने का उक्त निधियों से कोई प्रावधान नहीं है। फलस्वरूप सम्पूर्ण व्यय निधियों पर उचित एवं वैध प्रभार न होकर अनाधिकृत एवं अनियमित व्यय है। उक्त अनाधिकृत एवं अनियमित व्यय की उचित स्त्रोत से प्रतिपूर्ति करने उपरान्त यह राशि सम्बन्धित निधियों में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए। अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

15 उतरपुस्तिकाओं की खपत नियमानुसार न दर्शानाः—

व्यय की जांच करने पर पाया गया कि परीक्षा शुल्क निधि से विभिन्न मासों के दौरान विभिन्न वाउचरों के अन्तर्गत उतरपुस्तिकाओं का क्रय किया गया है जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से हैः—

क्र0 सं0	वा0सं0 / माह / दिनांक	फर्म का नाम एवं पता	सामान का विवरण	मात्रा	दर ₹ में	मूल्य ₹ में
1	310 / 12.11.10	कमल स्टेशनरी मार्ट, ढलियारा	उतरपुस्तिकाएं 16 पेज वाली	8000	1.70	13600
			उतरपुस्तिकाएं 4 पेज वाली	5000	.60	3000
						16600
2	2 12 / 11	कमल स्टेशनरी मार्ट, ढलियारा	उतरपुस्तिकाएं 20 पेज वाली	8000	1.90	15200
			उतरपुस्तिकाएं 4 पेज वाली	3000	.42	1260
			अवार्ड लिस्ट	50	18	900
						17360
	क्रम संख्या (1) व (2) का कुल योग (16600+17360)					33960

उपरोक्त उल्लेखित उतरपुस्तिकाओं की स्टॉक प्रविष्टि परीक्षा शुल्क निधि के स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करने उपरान्त "परीक्षाओं के दौरान खपत कर ली गई" लिखकर समस्त मात्रा को एक मुश्त स्टॉक से खारिज कर दिया गया। नियमानुसार उतरपुस्तिकाओं की खपत का दिनांक वार कक्षा, छात्रों की संख्या, पेपर का नाम व जारी की गई उतरपुस्तिकाओं की संख्या आदि महत्वपूर्ण अभिलेख तैयार करना अनिवार्य है। उतरपुस्तिकाओं की खपत नियमानुसार न दर्शाने के अभाव में किसी भी प्रकार के उतरपुस्तिकाओं के दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः उतरपुस्तिकाओं की खपत से सम्बन्धित अभिलेख नियमों के अनुरूप

न रखने का कारण स्पष्ट किया जाए व वांन्छित अभिलेख तैयार करके दर्शाई गई खपत को उचित ठहराया जाए व सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

16 निर्धारित औपचारिकताओं के बगैर साऊँड सिस्टम किराए पर लेनाः–

व्यय की जांच करने पर पाया गया कि सांस्कृतिक गतिविधि निधि से वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह के दौरान सुरेश म्युजिक सैन्टर सुकराला (बड़ा) नादौन को साऊंड सिस्टम लगवाने हेतु दिनांक 22.10.10 से 23.10.10 तक 2 दिन हेतु ₹3000.00 प्रति दिन की दर से ₹6000.00 का भुगतान किया गया। उक्त व्यय करने से पूर्व कोई भी आवश्यक/निर्धारित औपचारिकताऐं पूर्ण नहीं की गई अर्थात निविदाएं आमन्त्रित नहीं की गई। निविदाओं के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता, कि उपरोक्त उल्लेखित व्यय न्यूनतम दरों पर किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि बिना बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाए बिना उक्त व्यय उच्च दरों पर किया गया है। अतः उक्त व्यय करने से पूर्व आवश्यक/निर्धारित औपचारिकताएं पूर्ण न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

17 वास्तविक व्यय से अधिक राशि अग्रिम के रूप में देनाः–

व्यय की जांच करने पर पाया गया कि अग्रिम राशियां विभिन्न प्रयोजनों हेतु स्वीकृत करते समय अग्रिम राशि की अधिकतम सीमा अनुमानित व्यय का 70.80 प्रतिशत को ध्यान में नहीं रखा गया व कई वार वास्तविक व्यय से भी अधिक अग्रिम राशियां प्रदान की गई जो कि वितीय नियमों की अवहेलना है। इसके अतिरिक्त व्यय उपरान्त शेष बची राशियों को कई–2 दिनों तक अनावश्यक रूप से हस्तगत रखने के परिणामस्वरूप अस्थाई दुर्विनियोजन किया जा रहा है, जिस हेतु उतरदायित्व निर्धारित किया जाए व भविष्य में अग्रिम राशि स्वीकृति करने से पूर्व अनुमानित व्यय का आंकलन करने के उपरान्त ही उचित राशि का ही अग्रिम के रूप में स्वीकृत किया जाना सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को तब तक दूसरा अग्रिम प्रदान न दिया जाए, जब तक वह पहले अग्रिम राशि के समायोजन वाऊचर प्रस्तुत न करें। समायोजन वाऊचर प्रस्तुत करने की सीमा, जिस प्रयोजन हेतु दिया गया है उसकी समाप्ति उपरान्त अधिकतम 15 दिन निर्धारित की जाए व 15 दिन उपरान्त समायोजन वाऊचर प्रस्तुत करने की स्थिति में नियमानुसार दण्ड ब्याज वसूला जाना आपेक्षित है। वास्तविक व्यय से अधिक दिए गए अग्रिमों व शेष बची राशि के अस्थाई दुर्विनियोजन के कुछ उदाहरण निम्नलिखित प्रकार से है।

क्र0 सं0	समायोजन वा0सं0	अग्रिम राशि स्वीकृति की तिथि	अग्रिम राशि ₹	वास्तविक व्यय ₹	शेष बची राशि व जमा करवाने की तिथि (₹)	कर्मचारी का नाम	लगभग जितने दिन देरी से जमा की
1	112	3.11.10	18000	17007	993 दिनांक 3.12.10	श्रीमती मोनिका कुमारी	22 दिन
2	19	31.2.11	10000	7463	2537 दिनांक 1.2.12	श्री मुनीश कुमार	24 दिन
3	72	14.2.11	60000	56937	3063 दिनांक 24.2.11	श्री उमेश दत्त	8 दिन

18 आय से अधिक व्यय करने बारेः–

व्यय की जांच करने पर पाया गया कि वितीय वर्ष 2011–12 के दौरान खेल निधि से प्राप्त आय से अधिक व्यय किया गया, जबकि निदेशक, उच्च शिक्षा शिमला के पत्र संख्या ई0डी0–एन0–एच(21) ए (3) 21/2010–V दिनांक 6.4.11 के चैप्टर–IV के पार्ट–II के नियम 4.6. में दिए गए निर्देशानुसार संस्था का मुखिया सम्बन्धित निधि की उस वर्ष प्राप्त आय से 90 प्रतिशत तक ही व्यय कर सकता है लेकिन महाविद्यालय द्वारा उक्त नियम की अनुपालना न करके खेल निधि से वितीय वर्ष 2011–12 में प्राप्त आय से ₹51825.00 (407467–459292) का अधिक व्यय किया गया। अतः प्राप्त आय से अधिक व्यय करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए। भविष्य में वितीय वर्ष के दौरान निधि की प्राप्त आय से 90 प्रतिशत तक ही व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि आय व व्यय में एकरूपता स्थापित किया जा सके। अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

19 साईंस निधि से भौतिक प्रयोगशाला हेतु स्थाई सामान का अनावश्यक क्रयः–

साईंस निधि की जांच करने पर पाया गया कि साईंस निधि से अनावश्यक क्रय किया गया। स्टॉक रजिस्टर में जो सामान पहले से ही मौजूद था व अच्छी हालत में है, का भी पुनः बिना किसी आवश्यकता से क्रय कर लिया गया। अतः अनावश्यक क्रय करने हेतु उतरदायी अधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की

जाए व भविष्य में इस प्रकार के अनावश्यक क्रय रोकने हेतु परामर्श दिया जाता है कि क्रय से पूर्व स्टॉक रजिस्टरों की जांच की जाए व पहले से ही स्टॉक में अच्छी हालत में शेष बची मदों का क्रय न किया जाए। इसके अतिरिक्त क्रय आगामी वर्ष की खपत को मध्यनजर रखते हुए वार्षिक अनुमानित आंकलन के आधार पर एवं गत वर्ष की वास्तविक खपत को मध्यनजर रखते हुए आवश्यकतानुसार ही किया जाए ताकि अनावश्यक क्रय को रोकना सम्भव हो सके। अनावश्यक क्रय का संक्षिप्त विवरण स्टॉक रजिस्टर के अनुसार निम्नलिखित हैः–

भौतिक विज्ञान–स्टॉक रजिस्टर–i

क्र0 सं0	स्टॉक रजिस्टर पेज नं0	पहले से स्टॉक में मात्रा	क्रय की तिथि	मद का नाम	मात्रा	दर ₹ में	मूल्य ₹ में
1	262	शून्य	7.6.11	सी0आर0ओ0 30 मैगा हटर्ज	2	19000	38000
2	262	2	27.3.12	सी0आर0ओ0 30 मैगा हटर्ज	1	27500	27500
3	275	शून्य	7.6.11	प्लान्क कन्सटैंट यन्त्र	1	5850	5850
4	275	1	17.3.12	प्लान्क कन्सटैंट यन्त्र	2	13500	13500

20 रसायनिकी प्रयोगशाला हेतु साईंस निधि से ₹2379/– के रसायनों का अनावश्यक क्रयः–

व्यय की जांच करने पर पाया गया कि साईंस निधि से वाउचर संख्या 53 के अन्तर्गत दिनांक 30.11.11 को रिसर्च एंड इस्ट्रुमैन्ट एण्ड सर्विस, पालमपुर को रसायनों के क्रय करने ₹3965.00 का भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से हैः–

क्र0सं0	वाउचर सं0/दिनांक	रसायन का नाम	मात्रा	दर ₹ में	मूल्य ₹ में	31.3.12 तक खपत	शेष बची मात्रा
1	53/30.11.11	सल्फयूरिक एसिड	8X2.5 ली0=20 ली0	472	3776	7.5 ली0	12.5 ली0
				वैट 5%	188.80		
					3964.80		
				भुगतान	3965		

उपरोक्त क्रय किए गए रसायन की दिनांक 31.3.12 तक केवल 7.5 लीटर मात्रा की खपत की गई। अतः आवश्यकता के अनुरूप रसायन क्रय न करके, आवश्यकता से लगभग 3 गुणा ज्यादा मात्रा में क्रय करना अनावश्यक क्रय एवं व्यर्थ व्यय को परिलक्षित करता है जिसका उतरदायित्व निर्धारित करने उपरान्त सम्बन्धित उतरदायी कर्मचारी/अधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जानी आपेक्षित है। इसके अतिरिक्त रसायनों का क्रय करने से पूर्व रजिस्टरों में शेष बची मात्रा की जांच की जाए व छात्रों की सं0 व प्रति छात्र रसायन की सम्भावित खपत प्रति प्रयोग को मध्यनजर रखते हुए रसायनों का आगामी क्रय किया जाए ताकि अनावश्यक क्रय से बचा जा सके।

21 व्यय की जांच करने पर पाया गया कि साईंस निधि से वाउचर संख्या 52, दिनांक 17.11.11 को हिम इन्स्ट्रूमैन्ट एण्ड कैमिकल्स, ऊना से निम्नलिखित रसायनों के क्रय करने पर राशि ₹5658.00 का भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से हैः–

क्र0सं0	**रसायन का नाम**	**मात्रा**	**दर ₹**	**मूल्य ₹**
1	फैरिस क्लोराईड	4X500ग्राम	99	396
2	लैड नाईट्रेट	2X500ग्राम	255	510
3	स्टरेन्टम क्लोराईड	1X500ग्राम	180	180
4	नाईटिरक एसिड	2X2.5लीटर	388	776
5	एनीलीन	2X500मि0ली0	259	518
6	स्टेनियरस क्लोराईड	1X100ग्राम	345	345
7	सोडियम आर्सीनेट	2X250ग्राम	1332	2664
				5389
			वैट 5**%**	269.45
				5658.45
			भुगतान	**5658**

(i) उपरोक्त उल्लेखित रसायनों को हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदित दर संविदा प्राप्त फर्म से क्रय किया गया दर्शाया गया, लेकिन उक्त फर्म की दर संविदा की प्रति अभिलेख में

मौजूद नहीं पाई गई जिस कारण आवश्यक सत्यापन नहीं किया जा सका। वांन्छित दर संविदा की प्रति आगामी अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत की जाए।

(ii) क्रम संख्या 4 व 7 पर उल्लेखित रसायनों को अब तक दिनांक 2.3.13 तक आंशिक रूप से भी प्रयोग नहीं किया गया। अतः आवश्यकता न होने के बावजूद भी रसायनों का क्रय अनावश्यक क्रय व व्यर्थ व्यय को परिलक्षित करता है। त्रुटि उक्त अनावश्यक क्रय एवं व्यर्थ व्यय करने का उतरदायित्व निर्धारित करने उपरान्त सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाए। अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

22 मिश्रित निधि से ₹4300.00 का अनियमित व्ययः–

व्यय की जांच करने पर पाया गया कि मिश्रित निधि से विभिन्न वाऊचरों के अन्तर्गत सामान का क्रय किया गया जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से हैः–

क्र0सं0	वा0सं0/दिनांक	फर्म का नाम एवं पता	सामान का विवरण	मात्रा	दर ₹	मूल्य ₹
1	137/27.2.12	कमल प्रिंटिंग प्रैस, ढलियारा	क्लीयरैंस चिट			2000
2	138/28.2.12	कमल प्रिंटिंग प्रैस, ढलियारा	अनुपस्थिति विवरणिका	1	500	500
3	139/19.2.12	कमल प्रिंटिंग प्रैस, ढलियारा	प्रमाण पत्र प्रिंटिंग	300	6	1800
		क्रम संख्या (1) से (3) तक का कुल योग				**4300**

हिमाचल प्रदेश अध्यादेश 1973 के अध्याय XLII के अनुसार मिश्रित निधि उपरोक्त उल्लेखित व्यय करने का कोई प्रावधान नहीं है। उक्त व्यय निधि पर उचित एवं वैध प्रभार न होकर अनाधिकृत एवं अनियमित व्यय था। उक्त अनाधिकृत एवं अनियमित व्यय की उचित स्त्रोत से प्रतिपूर्ति करने उपरान्त यह राशि मिश्रित निधि में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए। अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

23 आवश्यकता के अनुरूप पहचान पत्रों का न छपवाया जानाः—

व्यय की जांच करने पर पाया गया कि पहचान पत्र निधि से विभिन्न वाऊचरों के अन्तर्गत ₹21380.00 का भुगतान, पहचान पत्र बनवाने पर किया गया जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से हैः—'

क्र0 सं0	बिल सं0/दिनांक	फर्म का नाम एवं पता	सामान का विवरण	मात्रा	दर ₹	मूल्य ₹
1	379/7.5.10	रौकिक प्रैस, नादौन	पहचान पत्र	1800	5.10	9180
2	1593/31.5.10	शिवा पुस्तक भण्डार, ढलियारा	पहचान पत्र	2000	6.10	12200
		क्रम संख्या (1) व (2) का कुल योग (9180+12200)				21380

उपरोक्त उल्लेखित व्यय वाऊचरों की जांच करने पर पाया गया कि वितीय वर्ष 2010—11 व 2011—12 में विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः 1643 व 1715 थी, जबकि वितीय वर्ष 2010—11 व 2011—12 में क्रमशः 1800 व 2000 पहचान बनवाए गए। फलस्वरूप वितीय वर्ष 2010—11 में विद्यार्थियों की संख्या से 157 पहचान पत्र अधिक बनवाने पर ₹5.10 प्रति पहचान पत्र की दर से ₹800.70 व वितीय वर्ष 2011—12 में विद्यार्थियों की संख्या से 285 पहचान पत्र अधिक बनवाने पर ₹6.10 प्रति पहचान पत्र की दर से ₹1738.50 (285X6.10) कुल ₹2539.20 का अनावश्यक क्रय एवं व्यर्थ व्यय किया गया है। अतः उक्त अनावश्यक क्रय एवं व्यर्थ व्यय करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए। भविष्य में पहचान पत्रों के क्रय से पहले छात्रों की संख्या को मध्यनजर रखते हुए क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए, ताकि अनावश्यक एवं व्यर्थ व्यय से बचा जा सके।

24 मिश्रित निधि से खरीदी गई डाक टिकटों के सन्दर्भ मेंः—

व्यय की जांच करने पर पाया गया कि मिश्रित निधि से वाउचर संख्या 10, माह 4/11 के दौरान डाक टिकटों के क्रय करने पर ₹2000.00 का व्यय किया गया। यद्यपि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अध्यादेश 1973 के अध्याय XLII के नियमों में डाक टिकटें

क्रय करने का प्रावधान है लेकिन उक्त मिश्रित निधि से खरीदी गई डाक टिकाटों का अलग से स्टॉक रजिस्टर व व्यय का रिकार्ड रखना अनिवार्य है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उक्त टिकटों का व्यय छात्र कल्याण हेतू किया गया। महाविद्यालय द्वारा अलग से स्टॉक रजिस्टर व डाक टिकटों का व्यय का रिकार्ड न रखने की स्थिति में उक्त व्यय अनियमित है। अतः वांन्छित अभिलेख तैयार करके जांच हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए ताकि डाक टिकटों के दुरूपयोग की सम्भावना को नकरा जा सके।

25 सरकारी खजाने में जमा करवाई गई राशि का मिलान न करनाः–

अंकेक्षण अवधि के दौरान महाविद्यालय द्वारा सरकारी खजाने में जमा करवाई गई राशि का मिलान नहीं किया गया जबकि प्रत्येक वितीय वर्ष के दौरान सरकारी खजाने में जमा करवाई गई राशि का मिलान प्रत्येक वितीय वर्ष के अन्त में किया जाना अनिवार्य है। ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके, कि विभिन्न चालानों के द्वारा जमा दर्शाई गई राशि वास्तविक रूप में सरकारी खजाने में जमा हो गई है। अतः अंकेक्षण अवधि 1.4.10 से 31.3.12 तक के दौरान चालानों द्वारा जमा करवाई गई राशि का सरकारी खजाने के साथ मिलान किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। भविष्य में प्रत्येक वितीय वर्ष के अन्त में मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

26 कालातीत चैक की राशि को रोकड़ वही के आय पक्ष में दर्ज न करने बारेः–

नियमानुसार किसी भी चैक को जारी किए हुए अगर 6 माह व्यतीत हो जाते है व उस चैक का सम्बन्धित फर्म द्वारा भुगतान 6 माह के अन्तर्गत नहीं लिया जाता, तक बह चैक कालातीत हो जाता है व उस चैक की राशि को जारी करने की तिथि से 6 माह बाद रोकड़ वही के आय पक्ष में दर्ज करना अनिवार्य है ताकि रोकड़ वही व बैंक पास बुक का मिलान सम्भव हो सके। महाविद्यालय द्वारा निम्नलिखित चैकों को जारी किए हुए 6 माह व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी उक्त चैकों को सम्बन्धित फर्म द्वारा बैंक में भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किया है, लेकिन महाविद्यालय द्वारा रोकड़ वही के आय पक्ष में उक्त चैकों की राशि को दर्ज नहीं किया है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए व तुरन्त उक्त चैकों की राशि को रोकड़ वही के आय पक्ष में दर्ज किया जाना सुनिश्चित किया जाए। अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्र0 सं0	निधि का नाम	खाता सं0	चैक सं0	राशि ₹	चैक जारी करने की तिथि	बैंक का नाम
1	मिश्रित निधि	20122025586	302281	418	15.9.10	के0सी0सी0वी0 नैहरनपुखर
2	मिश्रित निधि	20122025586	914389	85	26.9.11	के0सी0सी0वी0 नैहरनपुखर

27 स्टॉक व स्टोर में शेष पड़े सामान का भौतिक सत्यापन न करवाने बारेः–

जांच करने पर पाया गया कि अंकेक्षण अवधि 4/10 से 3/12 के दौन स्टोर व स्टॉक में शेष पड़े सामान का कमेटी गठित करने उपरान्त भौतिक सत्यापन नहीं करवाया गया है जबकि नियमानुसार प्रत्येक वितीय वर्ष के अन्त में स्टोर व स्टॉक में शेष पड़े सामान का कमेटी गठित करने उपरान्त भौतिक सत्यापन करना अनिवार्य है। अतः उक्त नियम की अनुपालना न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व प्रत्येक वितीय वर्ष के अन्त में कमेटी गठित करने उपरान्त स्टोर व स्टॉक में शेष पड़े सामान का भौतिक सत्यापन करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

28 स्थाई व अस्थाई सामान का अलग–2 स्टॉक रजिस्टर न रखने बारेः–

जांच के दौरान पाया गया कि विद्यालय में विभिन्न निधियों से खरीदे गए सामान का स्थाई व अस्थाई स्टॉक रजिस्टर अलग–2 नहीं लगाया गया है जबकि नियमानुसार स्थाई व अस्थाई स्टॉक रजिस्टर लगाना अनिवार्य है। अतः तुरन्त प्रभाव से सभी निधियों के स्थाई व अस्थाई अलग–2 स्टॉक रजिस्टर तैयार किए जाएं व प्रत्येक मद हेतु अलग–2 पृष्ठ आंबटित करके तदानुसार स्टॉक प्रविष्टियां की जानी सुनिश्चित की जाए। अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

29 **<u>लघु आपत्ति विवरणिकाः–</u>** यह अलग से जारी नहीं की गई है।

30 **<u>निष्कर्षः–</u>** लेखों के रख रखाव में सुधार की आवश्यकता हैं।

हस्ता/–
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश,शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्या : वित (ले0प0)सी(15)11(2) 392/85 खण्ड–6 दिनांक, शिमला–171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

पंजीकृत 1. प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय ढलियारा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को अतिशीघ्र भेजें ।

2. प्रधान सचिव (शिक्षा) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–171002
3. निदेशक शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला–171001
4. श्री राज कुमार, अनुभाग अधिकारी द्वारा..................

हस्ता/–
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश,शिमला–171009.